राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक: प.11(2)राज./6/04/8 जयपुर, दिनांक : 8-7-2005

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

: परिपत्र–:

विषय:– औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित राजकीय भूमि के हस्तान्तरण एंव उत्पाद परिवर्तन के संबंध में।

निर्देशानुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 के नियम–9 के परन्तुक के तहत अगर आवन्टी द्वारा जिस उद्देश्य के लिये भूमि आवंटित की गई थी, उसका उस उद्देश्य के लिये उपयोग नियम–7 में निर्धारित अवधि में कर लिया गया है तो वह आवंटी प्राधिकारी की अनुमति से सम्पूर्ण भूमि में अपने अधिकार या हित को निक्रय कर सकता है। पटटे की शर्तें यथावत रहेगी तथा अन्तरिती को नियम–5 में उल्लेखित लीज की वार्षिक रकम का 50 प्रतिशत अधिक देना होगा। अगर अन्तरिती आर्थिक, तकनीकी अथवा मार्केटिंग इत्यादि की कठिनाई अथवा उसकी मांग नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की नीति के तहत उत्पाद में परिवर्तन करना चाहता है तो संबंधित विभाग से यथा प्रदूषण नियन्त्रण विभाग इत्यादि से अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो, तो प्राप्त करते हुए नये उत्पाद को उसी प्लाट पर निर्मित करने की स्वीकृति अन्तरिती को दे दी जाय।

शासन उप सचिव